

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 586

प्रकरण क्रमांक -SM-ADV-2025-03217

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "फॉर्च्यून इलेमेन्ट्स", प्रमोटर-श्री पवन कुमार अग्रवाल,  
पता-फ्लैट नं.-ए/105, बशीर अहमद कॉम्पलेक्स, गीतांजली अपार्टमेंट, लिंक  
रोड, सी.एम.डी. कॉलेज के पास, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)  
प्रोजेक्ट-"फॉर्च्यून इलेमेन्ट्स" पता-बोदरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
11/05/2026	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.02.2026 को अनावेदक के विरुद्ध रूपये 10,00,000/- की शास्ति अधिरोपित की गई थी, जिसे अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक 24.03.2026 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का ग्रुप हाउसिंग के रूप में प्राधिकरण में पंजीकरण किया गया है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	